nt>

Title: Need to restore the "Meritorious Sports Persons Pension Scheme".

श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर (कृणा नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान खिलाड़ियों को पेंशन मिलने से सम्बन्धित विाय की ओर दिलाना चाहती हूं। 1994 में केन्द्र सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई थी कि जो खिलाड़ी ओलम्पिक में, एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल लेकर आएंगे, उनको पेंशन दी जाएगी। करीब 250 खिलाड़ियों को इस योजना के तहत पेंशन का फायदा मिल रहा था। लेकिन जुलाई, 2004 में इस सरकार द्वारा उस योजना को रिवाइज करके कहा गया कि जो ऐसे खिलाड़ी हैं और नौकरी कर रहे हैं, उनको इस योजना के तहत पेंशन नहीं मिलेगी। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूं कि 2002 में भारत की कबड्डी की टीम गोल्ड मैडल लेकर आई थी। उसके पांच सदस्यों ने 2003 में पेंशन के लिए एप्लाई किया। लेकिन उन लोगों को 2004 में लागू हुई इस नीति के तहत नौकरी में होने के कारण इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उसने पुरानी योजना को जो रिवाइज किया है, उस पर विचार करे और 1994 वाली जो योजना है, उसको लागू करे, जिससे पूरे देश के इन विजेताओं को पेंशन का लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : आज मेल सदस्यों को कम मौका देंगे।